Dr. Honey Sinha (Assistant Professor)
Department of Commerce Sub- Financial Accounting, B. Com part 1st SNSRKS College Saharsa

किराया-क्रय पद्धति

(Hire-Purchase System)

किराया-क्रय पद्धति माल के क्रय-विक्रय की एक विशेष पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार किराया-क्रेता द्वारा माल के मूल्य की मनिश्चित धनराशि विभिन्न किश्तों में चुकायी जाती है। ये किस्तें, मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक या अन्य प्रकार की हो सकती हैं। किराया-क्रय समझौते (Hire-Purchase Agreement) की तिथि पर ही किराया-क्रेता को माल पर अधिकार (Possession) तो। पाप्त हो जाता है लेकिन किराया-क्रेता उस माल का स्वामी (Owner) सम्पूर्ण किश्तों के भुगतान करने के बाद ही होता है। अतः अन्तिम किश्त का भुगतान होने से पहले माल पर स्वामित्व (Ownership) किराया-विक्रेता का ही रहता है। किराया-क्रता जब भा चाहे किराया-विक्रेता को 14 दिन का लिखित नोटिस देकर माल किराया-विक्रेता को वापस कर सकता है, लेकिन वह भुगतान की गयी किश्तों की धनराशि किराया-विक्रेता से नहीं माँग सकता। किराया-क्रेता द्वारा किसी किश्त का भुगतान न करने पर समझौते की शर्तों के अनुसार किराया-विक्रेता, किराया-क्रेता से माल वापस प्राप्त कर सकता है। जो किराये की किश्तें किराया-क्रेता द्वारा किराया-विक्रेता को दी जाती हैं वे माल के किराये के रूप में मानी जाती हैं। इसलिये इस पद्धति **(Hire-Purchase System**) के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत माल के नकद मूल्य (**Cash Price**) से किश्तों की धनराशि अधिक होती है क्योंकि किराया-क्रय मूल्य (Hire-Purchase Price) में ब्याज भी सम्मिलित होता है। ___

भारत सरकार ने **31 मई, 1972 को किराया-क्रय अधिनियम, 1972** पास किया जो **8 जून, 1972** से लागू हुआ है। इस अधिनियम की धारा 2 (C) के अनुसार किराया-क्रय अनुबन्ध से अभिप्राय ऐसे

समझौते से है **जिसके अन्तर्गत माल किराये पर दिया जाता है और किराया-क्रेता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह समझौते की शतों के अनुसार उसे क्रय करे। इस समझौते के अन्तर्गत यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि माल का स्वामी (किराया-विक्रेता), किरायेदार (किराया-क्रेता) को माल का अधिकार इस शर्त पर देता है कि वह विभिन्न किश्तों की धनराशि का भुगतान यथा समय करे और किराया-क्रेता को उस माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण अन्तिम किश्त का भुगतान करने पर ही होता है और किराया-क्रेता को स्वामित्व हस्तान्तरण से पूर्व किसी भी समय समझौते को समाप्त करने का अधिकार होता है, परन्तु वह किश्तों की धनराशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है।**